

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 167-2024/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 29, 2024 (KARTIKA 7, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 अक्तूबर, 2024

संख्या 33/जी॰एस॰टी॰—2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 128क की उप—धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, नीचे दी गई सारणी के खाना (3) में विनिर्दिष्ट संबंधित तिथि को वह तिथि अधिसूचित करते हैं, जिस तक उक्त धारा के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या कथन या आदेश के अनुसार भुगतानयोग्य कर का भुगतान, जैसी भी स्थिति हो, उक्त सारणी के खाना (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति के वर्ग द्वारा किया जा सकता है, अर्थात:—

सारणी

क्रम संख्या	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का वर्ग	वह तिथि, जिस तक उक्त अधिनियम की धारा 128क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या कथन या आदेश के अनुसार भुगतानयोग्य कर का भुगतान, जैसी भी स्थिति हो, उक्त धारा के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनों की छूट के लिए किया जा सकता है।
(1)	(2)	(3)
1	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 128क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या कथन या आदेश जारी किया गया है।	31.03.2025
2	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 128क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अविध के संबंध में धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई है और धारा 75 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में उचित अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतानयोग्य कर के निर्धारण के लिए आदेश पारित किया गया है या पारित किया जाना अपेक्षित होता है, यह मानते हुए कि सूचना उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई थी।	उक्त अधिनियम की धारा 73 के अधीन कर का पुनर्निर्धारण करने वाले उचित अधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की तिथि से छह मास पूरे होने पर समाप्त होने वाली तिथि।

(3519)

2. यह अधिसूचना प्रथम नवंबर, 2024 से लागू होगी।

देविंदर सिंह कल्यान, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 29th October, 2024

No. 33/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 128A of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies the respective date specified in column (3) of the Table below, as the date upto which payment for the tax payable as per the notice, or statement, or the order referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of the said section, as the case may be, can be made by the class of registered person specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, namely:—

Table

Sl. No.	Class of registered person	Date upto which payment for the tax payable as per the notice or statement or the order referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of section 128A of the said Act, as the case may be, can be made for waiver of interest, or penalty, or both, under the said section.
(1)	(2)	(3)
1	Registered persons to whom a notice or statement or order, referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of section 128A of the said Act, has been issued.	31.03.2025
2	Registered persons to whom a notice has been issued under sub-section (1) of section 74, in respect of the period referred to in sub-section (1) of section 128A of the said Act, and an order is passed or required to be passed by the proper officer in pursuance of the direction of the Appellate Authority, or Appellate Tribunal, or a court, in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 75, for determination of the tax payable by such person, deeming as if the notice were issued under sub-section (1) of section 73 of the said Act.	Date ending on completion of six months from the date of issuance of the order by the proper officer redetermining tax under section 73 of the said Act.

2. This notification shall come into effect from the 1st day of November, 2024.

DEVINDER SINGH KALYAN, Prinicpal Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.